web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 12 दिसंबर 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 74

अंतर्राष्ट्रीय

डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, अमेरिका में 100 करोड़ डॉलर निवेश करने वाले को मिलेगा तुरंत परमिट

वाशिंगटन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है।उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बिलियन डॉलर या उससे अधिक का निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी को पूरी तरह से त्वरित स्वीकृति और परमिट प्राप्त होंगे, जिसमें सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी तरह से सीमित नहीं हैं। धमाल मचाने के लिए तैयार हो जाइए। अमेरिका में मौजूदा समय में प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, निर्यात टर्मिनलों, सौर फार्मों और अपतटीय पवन टर्बाइनों सहित ऊर्जा परियोजनाएं 100 करोड़ डॉलर के मानदंड को पूरा करती हैं।ट्रंप की घोषणा से उन कंपनियों को फायदा होगा, जो ऐसे मूल्यांकन में देरी की शिकायत करती हैं। हालांकि, ट्रंप ने त्वरित अनुमोदन और परमिट के लिए पात्र होने की शर्तों को नहीं बताया है।ट्रंप की घोषणा पर अरबपति एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अद्भुत बताया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले और बाद में जितनी भी घोषणाएं की है, उनकी टीम इस पर काम कर रही है, ताकि 20 जनवरी, 2025 को उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही घोषणाओं को लागू किया जा सकेइसमें तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं के लिए निर्यात परमिट को मंजूरी देना, संघीय भूमि और अमेरिकी तट पर तेल की खुदाई को बढ़ाने की घोषणा भी शामिल है।ट्रंप जलवायु कानून के कुछ पहलू भी निरस्त कर सकते हैं।

पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू बना पुलिस अफसर

राजेंद्र मेघवार जिन्होंने सिविल परीक्षा पास कर रचा इतिहास

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू पुलिस अफसर बना है। राजेंद्र मेघवार को ये गौरव मिला है। बता दें कि पाकिस्तान पुलिस की स्थापना के बाद से यह पहली बार है कि किसी हिंदू अधिकारी को इस तरह के पद पर नियुक्त किया गया है। राजेंद्र मेघवार ने शुक्रवार 6 दिसंबर को फैसलाबाद के गुलबर्ग इलाके में एएसपी के रूप में अपना कार्यभार संभाला। पाकिस्तान में किसी हिंदू का पुलिस में अधिकारी बनना काफी मुश्किल है। ऐसे में जब राजेंद्र मेघवार पुलिस अधिकारी बने तो वो चर्चाओं में आ गए। राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान में एक हिंदू अधिकारी हैं, जिनकी मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई है। उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास करके सफलता हासिल की। अल्पसंख्यक समुदाय से होने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को हासिल किया। पुलिस अधिकारी बनने की उनकी यात्रा में कई बाधाएं आई। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि राजेंद्र पाकिस्तान के सिंध के ग्रामीण इलाके बदीन से हैं। उन्होंने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से इन बाधाओं को पार किया। राजेंद्र मेघवार की नियुक्ति को पुलिस बल में उनके सहयोगियों द्वारा भी सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। यह पहला मौका है कि फैसलाबाद में किसी हिंदू अधिकारी को इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि राजेंद्र मेघवार की उपस्थिति न केवल कानून और व्यवस्था में सुधार करेगी, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं को भी दूर करेगी, जिससे फोर्स में लोगों का भरोसा बढ़ेगा।

इजरायल के एक्शन से सकते में दुनिया, हवाई हमलों के बाद अब सीरिया की नौसेना को किया ध्वस्त

दमिश्क। सीरिया के एक युद्ध पर्यवेक्षक ने कहा कि इजरायल ने सीरिया में भारी हवाई हमले किए हैं और उसके सैनिक देश में और अंदर घुस गए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सेना ने सीरिया की नौसेना को नष्ट कर दिया है। इस बीच इजरायल ने सीरिया के अंदर 'बफर जोन' में घुसने की बात स्वीकार की है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसके सैनिक उस क्षेत्र से आगे गए हैं या नहीं, जिसे 50 साल से भी पहले स्थापित किया गया था। फिलहाल, इजरायल ने इस बात से इनकार किया है कि वह सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश दक्षिणी सीरिया में एक विसैन्यीकृत क्षेत्र स्थापित करना चाहता है। काट्ज ने हाइफा में नौसेना अड्डे पर कहा कि सेना ''सीरिया में आतंकवाद को जड़ें जमाने से रोकने के लिए दक्षिणी सीरिया में हथियारों और आतंकवादी खतरों से मुक्त रक्षा क्षेत्र बनाएगी, जिसमें इजरायल की कोई स्थायी उपस्थिति नहीं होगी।''

2040 तक चांद पर जाएगा भारतीय अंतरिक्ष यात्री

❐ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी

नईदिल्ली। आरएनएस

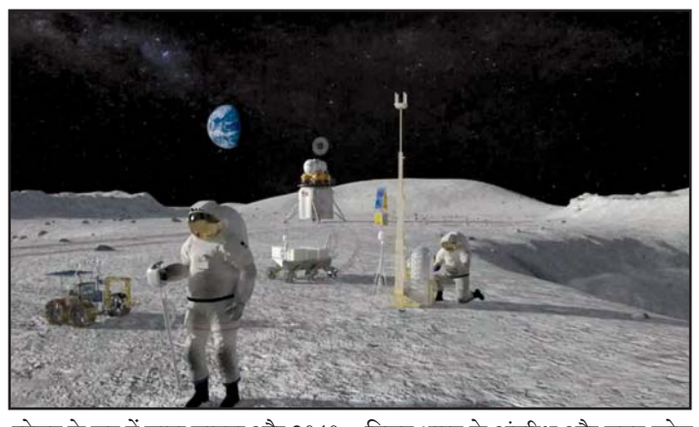

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज (11 दिसंबर) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, जिसका नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा।इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत की योजना किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की भी है।

दिल्ली में विज्ञान मंत्रालयों की उपलब्धियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजनाओं को साझा करते हुए कहा, हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं, हम अमेरिका और 1 या 2 अन्य देशों के बाद ऐसा करने वाले पहले देशों में से होंगे।उन्होंने आगे कहा, इसे 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में जाना जाएगा और 2040 तक हम किसी भारतीय को चांद पर उतार सकते हैं।

सिंह ने गगनयान मिशन के बारे में भी बताया कि 2024 के अंत या 2026 की शुरुआत में भारत पहला मानव अंतरिक्ष यान भेजेगा। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे।इसके साथ ही, भारत 6,000 मीटर की गहराई तक समुद्र तल पर एक मानव भेजने की योजना बना रहा है। यह समुद्र की अधिकतम गहराई हो सकती है।यह दोनों मिशन भारत के अंतरिक्ष और समुद्र खोज में महत्वपूर्ण कदम होंगे।

सिंह ने भारत के सैटेलाइट लॉन्च और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति पर चर्चा की।उन्होंने बताया कि पिछले दशक में भारत ने श्रीहरिकोटा से 397 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और नरेंद्र मोदी की सरकार में 432 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है।उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैव-अर्थव्यवस्था से संबंधित नीति जैव प्रौद्योगिकी ई3 को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हुआ।

भारत 2035 तक अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। इसमें 5 मुख्य मॉड्यूल होंगे, जिनमें बेस, कोर, विज्ञान प्रयोगशाला और कार्य मॉड्यूल शामिल हैं।अंतरिक्ष स्टेशन को कई चरणों में स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले 4 मिशन भेजे जाएंगे, जो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के अभियानों को समर्थन देंगे।इसके साथ ही, यह मिशन लंबी अवधि के अंतरिक्ष जीवन के लिए नई तकनीकों के परीक्षण में भी मदद करेगा।

भारत का पहला अंतरिक्ष मॉड्यूल 52 टन वजनी होगा। यह माइक्रोग्रैविटी में जीवन समर्थन प्रणाली और अन्य जरूरी तकनीकों का परीक्षण करेगा।पहले अंतरिक्ष मॉड्यूल बिना चालक दल के लॉन्च किया जाएगा। सफल परीक्षणों के बाद, इसे चालक दल के मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। इसरो 2028 तक बेस मॉड्यूल (बीएएस-1) को एलवीएम-3 रॉकेट से लॉन्च करेगा। इस मिशन में भारत में बने स्पेससूट्स का भी उपयोग किया जाएगा।

संविधान के अपमान से महाराष्ट्र में घमासान, परभणी में पथराव और आगजनी से बिगड़े हालात

❐ पुलिस स्थिति को नियंत्रित करन आंसू गैस के गोले छोड़े

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान को लेकर अचानक हिंसा भड़क गई है। इसके बाद कई इलाकों में आगजनी की गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि संविधान का अपमान करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में लगी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। बेकाबू लोगों को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। परभणी शहर में कलेक्टर कार्यालय के सामने अंबेडकरी अनुयायी मूर्ति क्षेत्र में एकत्र हुए और सडक़ रोको और रेल रोको भी प्रदर्शन किया। एहतियान इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और इसके साथ ही बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है।

इस बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने भी ममाले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि परभणी में जातिवादी मराठा उपद्रवियों द्वारा बाबासाहेब की प्रतिमा पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाना बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब बाबासाहेब की प्रतिमा या दलित पहचान के प्रतीक पर इस तरह की तोडफ़ोड़ की गई हो।

उन्होंने कहा, वीबीए परभणी जिले के कार्यकर्ता सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और उनके विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उपद्रवियों में से एक को गिरफ्तार किया। मैं सभी से कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। अगर अगले 24 घंटों के भीतर सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो परिणाम भुगतने होंगे।

परभणी पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट की जा रही है कि एक जगह पर पांच से ज्यादा लोग इक_ा न हों नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। आईजी रैंक के अधिकारी शाहजी उमाप को रवाना किया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कानून-व्यवस्था अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखने में मदद करें।

जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन समेत सीरिया से 75 नागरिकों को भारत ने सुरक्षित निकाला

नई दिल्ली। आरएनएस

भारत ने बुधवार को सीरिया से 75 भारतीय नागरिकों को निकाला .इनमें जम्मू-कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल थे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटने वाले हैं.

मंत्रालय ने बताया कि दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों द्वारा समन्वित निकासी सुरक्षा स्थिति के आकलन और सीरिया में भारतीय नागरिकों के अनुरोधों के बाद की गई. निकाले गए लोगों में जम्मू-कश्मीर के 44 जायरीन (तीर्थयात्री) भी शामिल थे, जो शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल सैय्यदा जैनब में फंसे हुए थे. ज्यादातर जायरीन इस स्थल पर बीमारियों से निजात पाने के लिए दुआ करने आते हैं.

मंत्रालय ने सीरिया में अभी भी मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +963 993385973 (वॉट्सऐप पर भी) और ईमेल आईडी पर संपर्क में रहें. यह देखते हुए कि भारत सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, मंत्रालय ने कहा, सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगी.

बता दें कि भारत ने विपक्षी ताकतों द्वारा सोमवार को बशर अल-असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया में स्थिरता का आह्वान करने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया. नई दिल्ली ने सभी हितधारकों से पश्चिम एशियाई देश की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने का आग्रह किया. इससे पहले विवार को हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के नेतृत्व में एक विद्रोही समूह के हमले के बाद असद सीरिया से भाग गए थे. एचटीएस पहले अल-कायदा से जुड़ा था.

हंदवाड़ा-बारामूला हाईवे पर बैग में मिला संदिग्ध आईईडी, सुरक्षाबलों ने किया नष्ट

जम्मू। आरएनएस

जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा-बारामूला हाईवे पर सुरक्षाबलों ने बुधवार को एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध बैग में संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का पता लगाया और उसे नष्ट कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और सेना के एक संयुक्त गश्ती दल ने कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा इलाके के लंगेट में पेट्रोलिंग के दौरान हाईवे किनारे एक संदिग्ध बैग देखा। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। बम निरोधक दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बैग को एक सुनसान जगह पर ले जाकर नियंत्रित विस्फोट के जरिए उसे नष्ट कर दिया। सुरक्षाबलों की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध बैग की सूचना मिलते ही हाईवे पर ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक दिया गया था। ऑपरेशन पूरा होने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। हालांकि, किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षाबलों ने जांच शुरू कर दी है कि इस तरह की हरकत के पीछे किसका हाथ है।

बता दें कि इससे पहले नौ दिसंबर को जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-बारामूला हाईवे पर सुरक्षाबलों ने एक आईईडी का पता लगाया था। जानकारी मिलने पर बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को निष्क्रिय कर दिया था, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई थी। हालांकि, इस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया था और ऑपरेशन पूरा होने के बाद बहाल कर दिया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सडक़ों, गलियों और राजमार्गों पर सुरक्षाबलों और सेना के काफिलों को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी रिमोट ट्रिगर या प्रेशर आईईडी का इस्तेमाल करते रहे हैं। इन विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में वीआईपी काफिलों को निशाना बनाने के लिए भी किया है।

सुरक्षाबलों के काफिलों और वीआईपी काफिलों के अलावा आम लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए ही सुरक्षाबलों की रोड ओपनिंग पार्टियां (आरओपी) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और स्निफर डॉग्स से लैस होकर दिन के समय सामान्य यातायात की सुरक्षा के लिए सडक़ों पर सुबह होते ही निकल पड़ती हैं।

दहेज उत्पीड़न मामलों में कानून का दुरुपयोग रुकना चाहिए, अदालतें सावधानी बरतें: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। आरएनएस

अपनी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण बेंगलुरू के एक आईटी प्रोफेशनल की खुदकुशी की घटना जहां सुर्खियों में है वही सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मामले में महिलाओं द्वारा अपने पतियों के खिलाफ दर्ज कराए गए वैवाहिक विवाद के मामलों में क्रूरता कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और पति के सगे-संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को इंगित करने वाले विशिष्ट आरोपों के बिना उनके नाम का उल्लेख शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ''न्यायिक अनुभव से यह सर्वविदित तथ्य है कि वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अक्सर पति के सभी परिजनों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों के बिना सामान्य प्रकृति के और व्यापक आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते हैं'' इसलिए, शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने एवं परिवार के निर्दोष सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए की, जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति, उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा 498ए को शामिल किये जाने का उद्देश्य महिला पर उसके पति और उसके परिजनों द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकना है, ताकि राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके।

बेंच ने कहा, ''हालांकि, हाल के वर्षों में देश भर में वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही विवाह संस्था के भीतर कलह और तनाव भी बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, आईपीसी की धारा 498ए (पत्नी के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा दिया जा सके।'' न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक विवादों के दौरान अस्पष्ट और सामान्य आरोपों की यदि जांच नहीं की जाती है, तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा और पत्नी एवं उसके परिवार द्वारा दबाव डालने की रणनीति को बढ़ावा मिलेगा। इसने यह भी कहा, हम एक पल के लिए भी यह नहीं कह रहे हैं कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता झेलने वाली किसी भी महिला को चुप रहना चाहिए और शिकायत करने या कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से खुद को रोकना चाहिए।''

पीठ ने कहा कि (उसका सिर्फ यह कहना है कि) इस तरह के मामलों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि धारा 498ए को शामिल करने का उद्देश्य मुख्य रूप से दहेज के रूप में किसी संपत्ति की अवैध मांग के कारण ससुराल में क्रूरता का शिकार होने वाली महिलाओं की सुरक्षा करना है। पीठ ने कहा, ''हालांकि, कभी-कभी इसका दुरुपयोग किया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ।'' शीर्ष अदालत ने प्राथमिकी खारिज करते हुए कहा कि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण एवं रंजिश की वजह से शिकायत दर्ज कराई गई थी।

बर्फबारी के बाद हिमाचल में हड्डी कंपा देने वाली ठंड, लाहौल-स्पीति में माइनस 12 डिग्री पहुंचा तापमान

शिमला (आरएनएस)। पहाड़ी राज्यों में सीजन की बर्फबारी शुरू हो गई है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पर्यटक बर्फबारी का लुफ्त उठा रहे हैं। हिमाचल में बर्फबारी के बाद सर्दी का सितम बढ़ गया है। राज्य में तापमान काफी गिर गया है और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में फिर से बर्फबारी का अनुमान जताया है।

राज्य में मंगलवार को अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री नीचे दर्ज किया गया जबकि कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति का ताबो सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 12.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि शिमला के खदराला, कोकसर (लाहौल-स्पीति) और कल्पा में क्रमश: 2.0 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। इसने बताया कि राज्य में कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे में बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी हुई तथा अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहा।

मौसम विभाग ने बताया कि लाहौल-स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर जिलों और कांगड़ा के ऊंचे इलाकों में 12 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी को छोडक़र अगले सात दिन तक मौसम शुष्क रहेगा।

12 दिसंबर तक राज्य के मध्य और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं-कहीं जमीनी पाला पडऩे की संभावना है। उधर, बीती रात को शिमला जिले के चौपाल के खिडक़ी, खड़ापत्थर व अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में फिर बर्फबारी हुई। इससे चौपाल के लिए मंगलवार सुबह बसों की आवाजाही नहीं हो सकी।

पति की प्रॉपर्टी पर हिंदू महिलाओं का कितना हक? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी फैसला

नईदिल्ली। आरएनएस

महिलाओं का पति की संपत्ति और पैतृक संपत्ति में अधिकार हमेशा से ही एक विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस विषय पर बड़ी स्पष्टता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत संपत्ति के अधिकारों के व्याख्याओं की उलझन को सुलझाने का फैसला किया है, जो कि छह दशकों से लंबित एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है।

सवाल यह है कि क्या एक हिंदू पत्नी अपने पति द्वारा दी गई संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार रखती है, भले ही वसीयत में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हों? तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएम नरसिम्हा और संदीप मेहता की बेंच ने सोमवार को इस मामले को एक बड़े बेंच के पास भेजने का फैसला लिया, ताकि इस मुद्दे का समाधान हमेशा के लिए किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा हर हिंदू महिला, उसके परिवार और देशभर की कई कोर्ट में लंबित मामलों के अधिकारों से जुड़ा है। यह सवाल केवल कानूनी बारीकियों का नहीं है, बल्कि लाखों हिंदू महिलाओं पर इस फैसले का गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह फैसला तय करेगा कि क्या महिलाएं अपनी संपत्ति का उपयोग, हस्तांतरण या बिक्री बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकती हैं।

इस मामले की जड़े लगभग छह दशक पुरानी है। मामला 1965 में कंवर भान नामक व्यक्ति की वसीयत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को एक जमीन के टुडक़े पर जीवनभर अधिकार दिया था, लेकिन इस शर्त के साथ कि पत्नी की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएगी। कुछ सालों बाद पत्नी ने उस जमीन को बेच दिया। उसने खुद को उस संपत्ति का पूरा मालिक बताया। इसके बाद बेटे और पोते ने इस बिक्री को चुनौती दी और मामला अदालतों में चला गया, जिसमें हर स्तर पर विरोधाभासी फैसले आए।

निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने 1977 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तुलसम्मा बनाम शेष रेड्डी का हवाला देते हुए पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) का व्यापक रूप से अर्थ लगाया गया था, जिससे हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के अधिकार मिले थे। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इससे असहमत होते हुए 1972 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले कर्मी बनाम अमरु का हवाला दिया, जिसमें वसीत में रखी गई शर्तों को संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाला बताया गया था।

यह विवाद अब सप्रीम कोर्ट में पहुंच गया जहां जस्टिस पीएन भागवती के तुलसम्मा फैसले में उठाए गए सवालों की याद दिलाई गई। जस्टिस भागवती ने धारा 14 के कानूनी मसौदे को वकीलों के लिए स्वर्ग और वादियों के लिए अंतहीन उलझन बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्टता की जरूरत पर बल दिया और कहा कि इस विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना अत्यंत जरूरी है। अब एक बड़ी बेंच को यह फैसला लेना होगा कि क्या वसीयत में दी गई शर्तें हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को धारा 14(1) के तहत सीमित कर सकती हैं या नहीं।